STUDENTS' TUTORIAL

Your Success Is Our Motto

Lokesh Chandra Lal / South Dhadka, Asansol-2

हिंदी भाषा का मूल शास्त्रीय संस्कृत भाषा में है । यह भाषा अपना वर्तमान रूप कई शताब्दियों में प्राप्त की है तथा अभी भी इसमें वाणीगत विविधता चलायमान है । हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है जो कि कुछ भारतीय अन्य भाषाओं की लिपि भी है । हिन्दी भाषा की बहुतायत शब्दावली संस्कृत भाषा से ली गई है । इसका व्याकरण भी संस्कृत से मिलता – जुलता है । भारतीय संविधान के छन्द संख्या 343 (1) में यह घोषित किया गया है कि हिंदी ही भारतीय संघ सरकार की भाषा होगी तथा लिपि देवनागरी होगी । हिंदी को भारतीय संविधान की भाषा की आठवीं सूची में 25 भाषाओं में स्थान दिया गया है । हिंदी तथा अंग्रेज़ी को भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की सम्पर्क भाषाओं के रूप में अनुबंध किया गया है । भारतीय केंद्र सरकार के द्वारा 1965 में निदेशात्मक छंद 344 (2) तथा छंद 351 के अनुसार हिंदी को भारतीय केंद्र सरकार की भाषा का विधान किया गया है । यह बताया गया है कि राज्य सरकार अपनी यादृच्छिक भाषा का चयन कर सकती है । हालाकि कार्यालयी भाषा के अनुच्छेद में धारा (1963) में अंग्रेज़ी भाषा को निश्चित रूप से कार्यालयी उद्देश्यों की लिये प्रयोग किए जाने की बात की गई है । अत: अंग्रेज़ी भाषा अभी भी कार्यालयी कागजातों तथा कोर्ट के कामकाजों की भाषा बनी हुई है । फिर भी भारतीय केंद्र सरकार की भाषा के रूप में हिंदी को ही मान लिया गया है । राज्य स्तर पर निम्न राज्यों ने हिंदी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है – बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचलप्रदेश, हरियाणा, तथा दिल्ली । प्रत्येक राज्यएक सह-कार्यालयी भाषा को भी मान्यता दी है जैसे कि उत्तरप्रदेश में उर्दू भाषा । इसी तरह, हिंदी को भी कई राज्यों ने सह-कार्यालयी भाषा के रूप में मान्यता मिली है । हिंदी एक विश्वव्यापी भाषा है । यह भी महत्त्वपूर्ण है कि विदेशी सैलानियों को भारतीय समृद्ध संस्कृति को समझने तथा इसमें दिलचस्पी बढ़ाने के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान अतिआवश्यक है । विदेशों में कई जगह भारतीय संस्कृति को समझने के लिए हिंदी संगठन की स्थापना भी की गई है । इन विदेशी संगठनों में भारतीय संस्कृति, धर्म, इतिहास आदि के साथ – साथ कई अन्य भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, संस्कृत तथा उर्दू का भी अध्ययन - अध्यापन करवाया जाता है । इस सार्वभौमिकता तथा निजीकरण दृश्य योजना में, भारत के साथ व्यापार वृद्धि के विचार से हिंदी भाषा का ज्ञान एक जरुरत के रूप में सामने आया है जिससे हिंदी भाषा की आवश्यकता सम्पर्क के लिए एक आवश्यक अंग बन गई है । और यही आवश्यकता, व्यापार - विकास के दृष्टिकोण से हिंदी भाषा की प्रसिद्धि का कारण बन गई है । अमेरिका के कई स्कूलों में विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की व्यवस्था की गई है जिसमें फ्रांसिसी, जर्मन, स्पेनिश आदि के साथ – साथ हिंदी को भी सम्मिलित किया गया है । इस तरह हिंदी ने भाषायी कार्यक्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है । इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत 1991 में टेक्नोलॉजी डेवेलॉपमेंट इन इंडियन लैंग्वेज (TDIL) के अभियान के स्थापना के साथ भारतीय भाषाओं विशेष रूप से हिंदी के तकनीकि विकास को आरम्भ किया गया है । इसके अंतर्गत कई प्रकार की गतिविधियाँ शुरु की गईं हैं । भारतीय भाषाओं की समृद्धि को ध्यान में रखते हुए, हिंदी के साथ प्रत्येक भारतीय भाषा, जो भारतीय संविधान 1991 में उल्लेखित है, उसमें तीन लाख शब्द संग्रह को विकसित करने का निर्णय किया गया है । अनुसारत: दिल्ली आई. आई. टी. में हिंदी शब्द संग्रह के विकास कार्य को सौंपा गया है । इस हिंदी संग्रह का स्त्रोत छापा-पुस्तक, पत्रिका, समाचार पत्र तथा सरकारी कागजात हैं जो 1981-1990 के दौरान प्रकाशित किए गए हैं । यह मुख्यत: छ: कोटियों में विभक्त है – सामाजिक विज्ञान, भौतिक एवं पेशा व्यापार विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, वाणिज्य, कार्यालयी तथा मीडिया भाषा एवं अनूदित सामग्री आदि । सॉफ्टवेयर यंत्राशों में वर्ड स्तरीय टैगिंग, शब्द गणक, वर्ण गणक, तीव्रता गणक आदि भी विकसित किए गए हैं । लगभग हिंदी की पठनीय 30 लाख मशिनी शब्द संग्रह को विभिन्न संस्थाओं द्वारा विकसित किया गया है । इसके बावजूद हिंदी वर्ड प्रोसेसर जैसे कि सिद्धार्थ (डी. सी. एम. 1983), लिपि (हिंदी ट्रॉनिक्स 1983), आई. एस. एम., आई. लीप, लीप ऑफिस (सी. डी. ए. सी, पुणे) आदि 1991 से जी. आई. एस. टी. के विकासाधीन, श्रीलिपि, सुलिपि, ए. पी. एस, अक्षर तथा कई अन्य हिंदी वर्ड प्रोसेसर आदि विकसित किए गए हैं ।

Translated